विहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि २३ मार्च, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २३ मार्च १९६० को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्टूबर, १९५९) के

---

९५५ अनागत प्रश्नों में से १२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ये हैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्तूबर, १९५९) के १२१ तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके। शेष प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

एनायतुर रहमान,
सचिव,
विहार विधान-सभा।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्य का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री इन्द्र नारायण सिंह	५५
२	श्री प्रभुनारायण राय	६६, १२६, २८७
३	श्री सुखु मुर्मू	७२
४	श्री डुमरलाल बैठा	१२२
५	श्री जयनारायण झा 'विनीत'	१२३
६	श्री राजाराम आर्य	१२५
७	श्री राम जयपाल सिंह	१२८, ४२१, ११३२, ११९२
८	श्री सुखदेव मांझी	१५२
९	श्री ब्रजनन्दन शर्मा	१६३, ३३८, ८९६
१०	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह	१६९, २८८
११	श्री महावीर राउत	१८८, २७३
१२	श्री अब्दुल गफूर	२४०

FINALISATION OF TENDERS.

422. Shri RAMJANAM OJHA : Will the Minister-in-charge of the Supply and Commerce Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that tenders were invited for enlistment as Government Stockists in the month of November, 1958 in Hazipur Subdivision of Muzaffarpur District ;

(2) whether it is a fact that the tenders were given after depositing due earnest money and the rate of Commission changed therein was at the rate of 50 per cent or even less ;

(3) whether it is a fact that the tenders have not finalised as yet and previous stockists are continuing at the rate of 1 p. c. as commission ;

(4) if answers to the above clauses be in the affirmative, the reasons for the delay in finalising the tenders ?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) यह बात सच है कि पहले से स्टॉकिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं। १९५९ में दिए जाने वाले कमीशन का रेट अभी तक निर्णित नहीं हुआ है।

(४) १९५९ के लिये टेंडर जो नवम्बर, १९५९ में दिए गए थे इनका निर्णय नहीं किया जा सका है, क्योंकि स्टॉकिस्टों का बहाला की समस्त प्रणाली सरकार के विचाराधीन थी। हाल ही में इस विषय में सरकार का निर्णय भेजा गया है। वे टेंडर अनुमंडल पदाधिकारी के जिम्मे जांच के लिये है जिससे आशा की जाती है कि शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायगा।

THE RATE OF COMMISSION.

423. Shri RAM JANAM OJHA : Will the Minister-in-charge of the Supply and Commerce Department be pleased to state—

(1) the rate of commission allowed to the Government Stockists at Hajipur in the district of Muzaffiarpur;

(2) the period for which the present stockist has continued to work as such ;

(3) total amount of money given to him as commission in each year ?

श्री बीरचन्द पटेल—(१) मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हाजीपुर सबडिवीजन में दो

स्टॉकिस्ट हैं जिन्हें क्रमशः १ प्रतिशत और ०–१२–० प्रतिशत कमीशन के रूप में दिये जाते हैं।

(२) ठाकुर श्री गणेश प्रसाद सिंह सन् १९५१ से और सर्वश्री नथुनी प्रसाद विजय कुमार १९५८ से।